

सेवा में— मुख्य वन संरक्षकं / नोडल अधिकारी  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय—वेलेस्पन इनर्जी यू०पी० प्रा० १० लि० द्वारा ग्राम—दर्दी खुर्द, तहसील—सदर जिला—मीरजापुर में प्रस्तावित १३२० (२०६६०) मेंगा वाट तप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलाधारी बाबत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ८.३५८१ हेतु ०५.०५.२०१६ के क्रम में आपका पृष्ठाकान सं० २४३७/११.सी—Fp/Up/ थर्मल/ १४२३६/२०१५ दिन ०१८.०५.२०१६।

#### महोदय-

विषयक प्रस्ताव में संचर्चित पत्र द्वारा प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों के निवारण द्वारा प्रस्तावित भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु उक्त के आधार पर प्रस्ताव की त्रुटियों का निम्न प्रकार से निवारण कर संशोधित प्रस्ताव अग्रेटर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

१.—प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तीन विकल्प रूट मैप प्रस्ताव में संलग्न किया गया हैं।

२.—प्रस्ताव में विभिन्न अपेक्षित पृष्ठों पर सम्बन्धित अधिकारियों की मुहर लगा दी गयी हैं।

३.—प्रस्तावक संस्था द्वारा प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।

४.—परियोजना के विभिन्न घटकों हेतु अपेक्षित वन भूमि का मदवार विवरण प्रस्तावक संस्था द्वारा पार्ट-१ के B-२-२ के अनुसार अपेक्षित भूमिगत वाटर पाइप लाइन हेतु—५.८१६२ हेतु एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु २.५४९ हेतु ५.४९० हेतु जिसे तदनुसार शंशोधित कर अंकित किया गया है।

५.—प्रस्तावक संस्था वेलेस्पन इनर्जी यू०पी० प्रा० १० लि० के बोर्ड आफ डाइरेक्टर का प्राधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।

६.—प्रस्तावक संस्था वेलेस्पन इनर्जी यू०पी० प्रा० १० लि० द्वारा उपलब्ध कराया गया अन्डरटेकिंग मूल में संलग्न है।

७.—निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया है। प्रति संलग्न हैं।

८.—निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया है। प्रति संलग्न है।

९.—निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया है। प्रति संलग्न है।

१०.—प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व में ७.६३९८ हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु part-A में अपलोड किया गया था जिसे अब संशोधित कर ८.३५८१ हेक्टेयर कर दिया गया है।

११.—वन भूमि का गजट अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।

१२.—उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं।

१३.—प्रस्तावक संस्था द्वारा title, index & legend सहित टोपोशीट उपलब्ध कराई गयी जिसे मूल में संलग्न किया गया है।

१४.—प्रस्ताव में अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित लैण्ड शेड्यूल संलग्न है।

१५.—भाग-२ के क्रम सं०-५ कार्य योजना वर्ष २०१४-१५ से २०२३-२४ के अंद्याय १ के प्रस्तर सं०-१.२३ में उल्लिखित हैं कि-अभिलेखों में अंकित वन भूमि के गैर वनिकी कार्यों के प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अनुमति केन्द्र/भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक हैं।

१६.—भाग-२ के क्रम सं०-६ में अपेक्षित सूचना अपलोड कर दी गयी है।

१७.—भाग-२ के क्रम सं०-११(१) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम १९८० उल्लंघन नहीं किया गया है। जैसा कि पूर्व में भी अपलोड किया गया है। अतः ११(१) (a)(b)(c) से संबन्धित सूचना शून्य है।

१८.—क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतल्य गैर वन भूमि का उपयुक्ता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।

१९.—८.३५८१ हेतु क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतलन प्रस्ताव में संलग्न है। प्राक्कलन १०.०० हेतु के माडल प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया है, न कि १०.०० हेतु १०.०० हेतु क्षेत्रफल के माडल के आधार पर ८.३५८१ हेतु गैर वनभूमि हेतु क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

२०.—मौके के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (चैक लिस्ट-२५) पर मुहर लगा दी गयी है।

२१.—एन.पी.वी. का आग्रणन पूर्व में ८.८७ लाख प्रति हेतु की दर से किया गया था जिसको इको क्वास व हरियाली घनत्व के आधार पर ६.२६ लाख प्रति हेक्टेएक्टर की दर से संशोधित किया गया।

२२.—वन अधिकार अधिनियम २००६ के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जो प्रस्ताव में संलग्न है।

२३.—क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रस्ताव में अंकित कर दी गयी है।

२४.—प्रस्ताव में संलग्न पेज संख्या १२० से १९४ प्रस्ताव से अगल कर प्रस्ताव की क्रम संख्या संशोधित कर दी गयी है।


२५.—प्रस्तावक संख्या द्वारा परियोजना का ले आउट प्लान उपलब्ध कराया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

२६.—यह कि प्रस्तावक संख्या द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण में बाधक समस्त २९६ वृक्षों का पातन किया जाना है। तदनुसार प्रभावित वन पातन किए जाने वाले वृक्षों की सूची समान है।

२७.—संयुक्त निरिक्षण रिपोर्ट पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावित संस्थान अधिकारी के साथ किया गया है। मौके पर अधोहस्ताक्षरी के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी मॉडिल नीरजापुर एवं विद्महकाल मौजूद थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी मौरजापुर एवं मॉडिलान की मुहर नहीं लगा पायी थी जिसे अब लगा दिया गया है।

संलग्नक—प्रस्तावक संस्था का पत्रांक ८६ दिन ०९.०६.२०१५ एवं संशोधित प्रस्ताव दो प्रतियों में।

भवदीय


  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग  
मीरजापुर

संख्या—३७२३ / अ—सम दिनांक—

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(१) मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर थोर, मीरजापुर।

(२) श्री अनुराग चोखनी, अधिकृत प्रतिनिधि, वेलेस्पन इनर्जी यू०पी० प्रा० १० लि०, मीरजापुर।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग  
मीरजापुर

६/१